प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय न्यायपालिका छत्तीसगढ़ : बिलासपुर

.....

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

.....

रिट याचिका क्र. 1595 of 2006

रिट याचिका क्र.1658 of 2006

रिट याचिका क्र. 1669 of 2006

रिट याचिका क्र.1683 of 2006

रिट याचिका क्र. 1684 of 2006

रिट याचिका क्र. 1685 of 2006

रिट याचिका क्र. 1686 of 2006

रिट याचिका क्र. 1690 of 2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

दिनांक 09.01.2007 को सूचीबद्ध करें

हस्ता./-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

उच्च न्यायालय न्यायपालिका छत्तीसगढ़ : बिलासपुर

... ...

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

... ...

रिट याचिका क्र. 1595/2006

याचिकाकर्ता : प्रबंध निदेशक, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको)

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 के अधीन निरीक्षक, कोरबा और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

उपस्थित : याचिकाकर्ता की ओर से श्री एन.एस. काले, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री अभिषेक सिन्हा, अधिवक्ता उपस्थित।

उत्तरदाताओं/राज्य की ओर से, उत्तरदाता क्रमांक 1 और 4 के लिए श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप–महाधिवक्ता उपस्थित।

उत्तरदाता क्रमांक 2 और 3 की ओर से डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता उपस्थित।

रिट याचिका क्र. 1658/2006

याचिकाकर्ता प्रबंध निर्देशक, भारत अलुमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको)

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 के अधीन निरीक्षक, कोरबा और अन्य

.....

उपस्थित : श्री अभिषेक सिन्हा, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता, उत्तरवादी संख्या 1 एवं 4/राज्य की ओर से।

डॉ. एन.के.शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राजीव श्रीवास्तव, उत्तरवादी संख्या 2 और के अधिवक्ता के साथ।

.....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्र.1669/2006

याचिकाकर्ता प्रबंध निर्देशक, भारत अलुमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको)

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 के अधीन निरीक्षक, कोरबा और अन्य

उपस्थित : श्री अभिषेक सिन्हा, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता, उत्तरवादी संख्या 1 एवं 4/राज्य की ओर से।

श्री राजीव श्रीवास्तव, उत्तरवादी संख्या 3 के अधिवक्ता।

रिट याचिका क्र.1683/2006

याचिकाकर्ता प्रबंध निर्देशक, भारत अलुमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको)

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 के अधीन निरीक्षक, कोरबा और अन्य

.....

उपस्थित : श्री अभिषेक सिन्हा, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता, उत्तरवादी संख्या 1 और 10/राज्य की ओर से।

श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पी.आर. पाटनकर, उत्तरवादी संख्या 2 से 8 के अधिवक्ता के साथ।

डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राजीव श्रीवास्तव, उत्तरवादी संख्या 9 के अधिवक्ता के साथ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

रिट याचिका क्र.1684/2006

याचिकाकर्ता प्रबंध निर्देशक, भारत अलुमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको)

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 के अधीन निरीक्षक, कोरबा और अन्य

.....

उपस्थित : श्री अभिषेक सिन्हा, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता, उत्तरवादी संख्या 1 और 5/राज्य की ओर से।

श्रीमती हमीदा सिद्दीकी, उत्तरवादी संख्या 2 और 3 की ओर से।

डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राजीव श्रीवास्तव, उत्तरवादी संख्या 4 के अधिवक्ता के साथ।

.....

रिट याचिका क्र.1685/2006

याचिकाकर्ता प्रबंध निर्देशक, भारत अलुमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको)

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 के अधीन निरीक्षक, कोरबा और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

उपस्थित : श्री अभिषेक सिन्हा, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता, उत्तरवादी संख्या 1 और 15/राज्य की ओर से।

श्री संजय के. अग्रवाल, श्री सौरभ शर्मा, उत्तरवादी संख्या 3,4,6,7 और 8 के अधिवक्ता।

डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राजीव श्रीवास्तव, उत्तरवादी संख्या 14 के अधिवक्ता के साथ।

.....

रिट याचिका क्र.1686/2006

याचिकाकर्ता प्रबंध निर्देशक, भारत अलुमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको)

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 के अधीन निरीक्षक, कोरबा और अन्य

.....

उपस्थित : श्री अभिषेक सिन्हा, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता, उत्तरवादी संख्या 1 व 8/राज्य के लिए।

श्री आशीष श्रीवास्तव और श्री अखिलेश दलपति, उत्तरवादी संख्या 2, 3 व 5 के अधिवक्ता।

डॉ. एन.के.शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राजीव श्रीवास्तव, उत्तरवादी संख्या 7 के अधिवक्ता के साथ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

रिट याचिका क्र.1686/2006

याचिकाकर्ता प्रबंध निर्देशक, भारत अलुमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको)

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 के अधीन निरीक्षक, कोरबा और अन्य

.....

उपस्थित : श्री अभिषेक सिन्हा, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता, उत्तरवादी संख्या 1 व 10/राज्य के लिए।

डॉ. एन.के.शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राजीव श्रीवास्तव, श्री शैलेन्द्र शुक्ला, उत्तरवादी संख्या 3,5,7,8 और 9 के अधिवक्ताओं के साथ।

.....

आदेश

(9 जनवरी 2007 को पारित)

ये सभी रिट याचिकाएं, निरीक्षक, छत्तीसगढ़ औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "**अधिनियम, 1961**") तथा सहायक श्रम आयुक्त, कोरबा द्वारा अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पारित आदेशों के विरुद्ध निर्देशित हैं, जिनमें यह निर्णय लिया गया कि उत्तरवादीगण (आवेदक) अधिनियम, 1961 की धारा 3(घ) को छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 2(13) के साथ पढ़ते हुए, कंपनी के स्थायी आदेशों के अधीन कर्मचारी हैं। याचिकाकर्ता–कंपनी को आगे यह निर्देश दिया गया कि वह उत्तरवादी कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त न करे, बल्कि उन्हें याचिकाकर्ता–कंपनी के स्थायी आदेशों के नियम 5(घ) के अनुसार 60 वर्ष की आयु तक कार्य करने दे। चूंकि इन सभी रिट याचिकाओं में तथ्यों और निर्णय हेतु उत्पन्न विधिक प्रश्नों में समानता है, अतः इन्हें समेकित कर एक साथ सुना गया और इस साझा आदेश के माध्यम से निपटाया जा रहा है।

(2) इस रिट याचिकाओं के समूह के निपटारे के उद्देश्य से, रिट याचिका क्रमांक 1595/2006 के तथ्यों पर विचार किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं–

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तरवादी क्रमांक 2, याचिकाकर्ता–कंपनी में वर्ष 1973 से कार्यरत था। उसे दिनांक 15–07–2003 (परिशिष्ट–P/1) के आदेश के द्वारा सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। दिनांक 15–07–2003 (परिशिष्ट–P/1) का आदेश यह उल्लेख करता है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 (कर्मचारी) पर कंपनी में अधिकारियों पर लागू सेवा की शर्तें और नियम लागू होंगे। उक्त आदेश में यह भी कहा गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 को वर्तमान जिम्मेदारियों के अतिरिक्त उच्च जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। पदोन्नति का यह आदेश उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया गया और वह याचिकाकर्ता–कंपनी के अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं, विशेषाधिकारों और लाभों का उपभोग कर रहा था। चूंकि याचिकाकर्ता–कंपनी के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है, अतः कंपनी द्वारा दिनांक 15–11–2005 (परिशिष्ट–पी/2) को एक नोटिस जारी कर उत्तरवादी क्रमांक 2 को सूचित किया गया कि वह 31 जनवरी, 2006 को सेवा निवृत्त हो जाएगा। तत्पश्चात, दिनांक 07–01–2006 को उत्तरवादी क्रमांक 2 ने उक्त नोटिस को स्वीकार करते हुए ग्रेच्युटी एवं भविष्य निधि की भुगतान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिसके पश्चात याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा उक्त राशि का भुगतान कर दिया गया। तथापि, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने परिशिष्ट–P/3 के माध्यम से अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उत्तरवादी क्रमांक 1– निरीक्षक के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की कि वह कर्मचारी (श्रमिक) की श्रेणी में आता है तथा पदोन्नति के उपरांत भी कंपनी के स्थायी आदेश उस पर लागू होते हैं, अतः उसे 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता और उसकी सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही की जानी चाहिए। उक्त शिकायत के लंबित रहने के दौरान, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने इस न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 513/2006 प्रस्तुत की, जिसमें प्रार्थना की गई कि उसे 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त किया जाए। उक्त याचिका को दिनांक 31–01–2008 को परिशिष्ट–P/6 के माध्यम से वापस ले लिया गया और खारिज कर दिया गया। दिनांक 11–02–2006 (परिशिष्ट–P/7) के पत्र के माध्यम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

से याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1– निरीक्षक को उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 2 की रिट याचिका के खारिज होने की सूचना दी गई।

(3) श्री एन.एस. काले, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री अभिषेक सिन्हा, अधिवक्ता जो याचिकाकर्ता–कंपनी की ओर से प्रस्तुत हुए, ने यह प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश अधिनियम की धारा 13 एवं 17 के अंतर्गत किसी भी न्यायिक और विशिष्ट निर्णयाधिकार के बिना पारित किया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया शून्य, क्षेत्राधिकार से परे और विधि के अधिकार के बिना है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 2 ने पदोन्नति के आदेश को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया और याचिकाकर्ता कंपनी के अधिकारी के रूप में लागू सभी भत्तों, विशेषाधिकारों और सुविधाओं का लाभ लिया। विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि सहायक तकनीकी अधिकारियों पर स्थायी आदेश लागू नहीं होते, अतः यह स्थायी आदेशों की प्रासंगिकता का प्रश्न उत्पन्न करता है, और स्थायी आदेशों की प्रासंगिकता एवं व्याख्या से संबंधित प्रश्न केवल अधिनियम, 1961 की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार श्रम न्यायालय द्वारा ही निर्णय के लिए योग्य है, और किसी अन्य प्राधिकारी को स्थायी आदेशों की प्रासंगिकता का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। अतः उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा पारित आलोच्य आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर था। विद्वान् अधिवक्ता का आगे यह भी तर्क था कि अधिनियम, 1961 की धारा 13, 15 एवं 17 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि निरीक्षक का अधिकार केवल अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को लागू कराने हेतु जानकारी एकत्र कर जांच के माध्यम से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। यदि किसी स्थायी आदेश की प्रासंगिकता अथवा उसकी व्याख्या को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो केवल श्रम न्यायालय, जिसे क्षेत्राधिकार प्राप्त है, ही उस विवाद का निर्णय कर सकता है और उसका निर्णय पक्षकारों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) विपरीत पक्ष में, उत्तरवादीगण (कर्मचारीगण) तथा उत्तरवादी–संघ की ओर से प्रस्तुत हुए अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि स्थायी आदेशों की प्रासंगिकता एवं उनकी व्याख्या से संबंधित प्रश्नों का निर्णय लेना अधिनियम, 1961 की धारा 15 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का एक सहवर्ती पहलू है। अधिनियम, 1961 की धारा 15 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए निरीक्षक का कर्तव्य है कि वह अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करे और यह तय करने में सक्षम है कि क्या उत्तरवादी–कर्मचारी पर्यवेक्षक है या श्रमिक, तथा आगे यह भी कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है या 60 वर्ष। अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि अधिनियम, 1961 एक "कल्याणकारी विधेयक" है और इसे कर्मचारियों के हितों की रक्षा तथा नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार की अनुचितता को रोकने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। निरीक्षक ने कर्मचारी के कार्य के स्वरूप और स्थिति से संबंधित उचित जांच करने के उपरांत आलोच्य आदेश पारित किया है। तदनुसार, निरीक्षक ने यह निष्कर्ष निकाला कि कंपनी के श्रमिकों हेतु स्थायी आदेशों के नियम 5(घ) में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर किए जाने का प्रावधान है और उत्तरवादी कर्मचारी उक्त सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) मैंने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत हुए अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं तथा याचिका–पत्रों और उसके साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया है।

(6) इस रिट याचिकाओं के समूह में उत्पन्न विवाद के समुचित निर्णय के लिए, प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जो इस प्रकार हैं:

धारा 3(घ), 13, 15 तथा 17 की उप–धाराएं (2), (3) एवं (5) अधिनियम, 1961 के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैं:

"3. परिभाषाएं— इस अधिनियम में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,"

(1) Xxxxxxxxxx

(24) Xxxxxxxxxx

(36) Xxxxxxxxxx

(18) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों को छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1960 का 27) में दिए गए अर्थ के अनुसार माना जाएगा।

13. स्थायी आदेशों की प्रासंगिकता और व्याख्या से संबंधित विवाद— यदि किसी स्थायी आदेश की प्रासंगिकता या उसकी व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो नियोक्ता, कर्मचारी अथवा कर्मचारियों का प्रतिनिधि उस प्रश्न को अधिकार क्षेत्र वाली श्रम न्यायालय को संदर्भित कर सकता है, और न्यायालय, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उक्त प्रश्न का निर्णय करेगा, तथा उसका निर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्य होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. निरीक्षकों की नियुक्ति, उनके अधिकार और कर्तव्य—

(1) राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, श्रम विभाग के ऐसे अधिकारियों को, जो उप श्रम अधिकारी के पद से निम्न न हों, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु निरीक्षक नियुक्त कर सकता है, जिन्हें वह उपयुक्त समझे। ऐसी अधिसूचना में उन उपक्रमों की श्रेणी तथा वे क्षेत्र निर्दिष्ट किए जाएंगे जिनके संबंध में वे अपने–अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग करेंगे।

(2) प्रत्येक ऐसे निरीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के विधिपूर्वक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे।

(3) कोई भी निरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, नियोक्ताओं और कर्मचारियों से ऐसी जांच कर सकता है एवं ऐसी जानकारी एकत्र कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे।

17. दंड एवं प्रक्रिया— xxxxxxxxxx

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) कोई भी नियोक्ता जो स्थायी आदेशों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है, उसे ऐसे अपराध के लिए एक सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा; और यदि वह अपराध जारी रहता है, तो पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा।

(3) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है, ऐसे मामलों में जो उपधारा (2) के अंतर्गत नहीं आते, उसे दंडित किया जाएगा।

(क) ऐसे व्यक्ति को एक सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा; और यदि वह व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका हो, तो उसे दो सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा; तथा

(ख) यदि अपराध जारी रहता है, तो पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

Xxxxxx

(5) इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध, कर्मचारियों के प्रतिनिधि या इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक द्वारा की गई शिकायत पर, उस श्रम न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अंतर्गत वह अपराध किया गया हो।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 2(13) भी प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है :

"2. परिभाषाएं— इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग अन्यथा न अपेक्षित करे,—"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

xxxxxxxxx

(13)"कर्मचारी" से अभिप्राय किसी उद्योग में नियोजित ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो किसी कुशल, अकुशल, शारीरिक, पर्यवेक्षणात्मक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य के लिए पारिश्रमिक या प्रतिफल के बदले कार्य करता हो, चाहे सेवा की शर्तें स्पष्ट रूप से विन्यस्त हों या अंतर्निहित रूप से, तथा इसमें सम्मिलित हैं–

(क)ऐसा व्यक्ति जो किसी ठेकेदार द्वारा, नियोक्ता के साथ अनुच्छेद 14 के खंड (च) के अर्थ में किसी अनुबंध के निष्पादन में उसके लिए कोई कार्य करने हेतु नियोजित किया गया हो; तथा

(ख)कोई प्रशिक्षु, सिवाय उन प्रशिक्षुओं के जो उपखंड (व) के अंतर्गत आते हैं; परंतु इसमें कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा–

(i)जो व्यक्ति सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), या नौसेना अनुशासन अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन हो; या

(ii)जो पुलिस सेवा में या किसी कारागार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित हो; या

(iii)जो मुख्यतः प्रबंधकीय पद पर नियोजित हो; या

[(iv)जो पर्यवेक्षणात्मक पद पर नियोजित होते हुए प्रति माह एक हजार छह सौ रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करता हो; या]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(v)जो कोई हस्तशिल्पी या प्रशिक्षु हो और जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना के अंतर्गत कार्य कर रहा हो, इस शर्त पर कि ऐसे हस्तशिल्पी या प्रशिक्षु को इस अधिनियम के अंतर्गत "कर्मचारी" नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण—कोई कर्मचारी जिसे सेवा से बर्खास्त, पदमुक्त या छंटनी कर दिया गया हो अथवा जिसकी सेवा अन्यथा समाप्त कर दी गई हो, उसे ऐसी बर्खास्तगी, पदमुक्ति, छंटनी या सेवा समाप्ति से संबंधित मामलों के संदर्भ में, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "कर्मचारी" माना जाएगा।

(7) याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा संदर्भित और आश्रित बालको के श्रमिकों हेतु स्थायी आदेशों का नियम 5(घ) श्रमिकों के लिए है, जिसमें "श्रमिक" को कंपनी का ऐसा कोई भी कर्मचारी परिभाषित किया गया है जो बालको, कोरबा के श्रमिकों हेतु स्थायी आदेश की धारा 2(1) की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जिसे औद्योगिक रोजगार

(स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (संक्षेप में "अधिनियम, 1946") के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है। बालको के श्रमिकों हेतु स्थायी आदेशों की धारा 2(1), 2(7) तथा 5(घ) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

2. परिभाषाएं:

इन आदेशों में, जब तक विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(1) "अधिनियम" से अभिप्राय औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) से है।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(7) "श्रमिक" से अभिप्राय कंपनी का कोई भी ऐसा कर्मचारी है जो अधिनियम की धारा 2(1) में "श्रमिक" की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. आयु का अभिलेख:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(घ) प्रत्येक कर्मचारी को उस माह के अंतिम दिवस की दोपहर में, जिसमें वह 60 (साठ) वर्ष की आयु पूर्ण करता है, कंपनी की सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति की आयु अर्थात् 60 (साठ) वर्ष से अधिक सेवा विस्तार की कोई व्यवस्था नहीं होगी।

(8) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत "श्रमिक" का वही अर्थ है जो उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 की उपधारा (स) में दिया गया है, जो इस प्रकार है:

"2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(स)"श्रमिक" से अभिप्राय ऐसा कोई भी व्यक्ति (जिसमें प्रशिक्षु भी सम्मिलित है) है जो किसी उद्योग में किसी शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालनात्मक, लिपिकीय या पर्यवेक्षणात्मक कार्य के लिए पारिश्रमिक या प्रतिफल के बदले नियोजित हो, चाहे नियोजन की शर्तें स्पष्ट रूप से विन्यस्त हों या अंतर्निहित रूप से; और इस अधिनियम के अंतर्गत किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित कार्यवाही के संदर्भ में, उसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित होगा जिसे उस विवाद के संबंध में या परिणामस्वरूप बर्खास्त, पदमुक्त या छंटनी कर दिया गया हो, अथवा जिसकी बर्खास्तगी, पदमुक्ति या छंटनी उस विवाद को जन्म देने वाली हो, परंतु इसमें ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i)जो वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन हो; या

(ii)जो पुलिस सेवा में अथवा किसी कारागार का अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो; या

(iii)जो मुख्यतः प्रबंधकीय या प्रशासनिक पद पर नियोजित हो; या

(iv)जो पर्यवेक्षणात्मक पद पर कार्यरत होते हुए प्रति माह एक हजार छह सौ रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करता हो अथवा जो अपने पद से संलग्न कार्यों की प्रकृति अथवा उसमें निहित शक्तियों के कारण मुख्यतः प्रबंधकीय प्रकृति का कार्य करता हो।

(9)इस याचिका समूह में उत्पन्न विवाद यह है कि क्या स्थायी आदेश, जो श्रमिकों के लिए निर्मित है, उन उत्तरवादी कर्मचारियों पर लागू होता है, जिन्हें प्रारंभ में श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में तकनीकी अधिकारी, सहायक तकनीकी अधिकारी आदि (पर्यवेक्षणात्मक पदों) पर पदोन्नत किया गया। रिट याचिका क्रमांक 1595/2006 में, उत्तरवादी क्रमांक 2 को जुलाई, 2003 में सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया; रिट याचिका क्रमांक 1658/2006 में, उत्तरवादी क्रमांक 2 को जनवरी, 2003 में तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया; रिट याचिका क्रमांक 1669/2006 में, उत्तरवादी क्रमांक 2 को मई, 2000 में सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया; रिट याचिका क्रमांक 1683/2006 में, उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5, 7 एवं 8 को वर्ष 2003 में सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 6 को वर्ष 1998 में सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया; रिट याचिका क्रमांक 1684/2006 में, उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 3 को जनवरी, 2003 में सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया;रिट याचिका क्रमांक 1685/2006 में, उत्तरवादी क्रमांक 2 से 7, 10, 11 एवं 12 को वर्ष 2000 में सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया, उत्तरवादी क्रमांक 8 को वर्ष 2003 में सहायक तकनीकी अधिकारी, उत्तरवादी क्रमांक 9 को वर्ष 1993 में तकनीकी अधिकारी तथा उत्तरवादी क्रमांक 13 को वर्ष 2002 में सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया; रिट याचिका क्रमांक 1686/2006 में, उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 को वर्ष 2003 में सहायक तकनीकी अधिकारी, उत्तरवादी क्रमांक 5 को वर्ष 2000 में सहायक तकनीकी अधिकारी तथा उत्तरवादी क्रमांक 6 को वर्ष 2000 में वरिष्ठ सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया; रिट याचिका क्रमांक 1690/2006 में, उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 को सहायक तकनीकी अधिकारी, उत्तरवादी क्रमांक 6 को सहायक फोरमैन, उत्तरवादी क्रमांक 7 को वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी तथा उत्तरवादी क्रमांक 8 को विभिन्न तिथियों में तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता कंपनी का मुख्य तर्क यह है कि उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कर्मचारी पर्यवेक्षणात्मक पदों पर नियोजित हैं और वे अधिकारियों को प्राप्त सुविधाओं, विशेषाधिकारों तथा लाभों का उपभोग कर रहे हैं तथा वे एxक भिन्न सेवा नियमावली के अधीन शासित हैं। उत्तरवादी कर्मचारियों ने पदोन्नति आदेशों को स्वीकार किया है और उसके पश्चात उन्होंने सेवानिवृत्ति की वह आयु भी स्वीकार की है, अर्थात् 58 वर्ष, जो पर्यवेक्षणात्मक पदों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए निर्धारित है। कंपनी के श्रमिकों हेतु स्थायी आदेशों के नियम 5(घ) में श्रमिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। अधिनियम, 1961 की धारा 15 के अंतर्गत, श्रमिकों हेतु कंपनी के स्थायी आदेशों के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत निरीक्षक को, ऐसे स्थायी आदेश की प्रासंगिकता और व्याख्या से संबंधित विवाद का निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। अधिनियम, 1961 की धारा 13 के सामान्य पाठ से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी स्थायी आदेश की प्रासंगिकता अथवा उसकी व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो नियोक्ता, कर्मचारी अथवा कर्मचारियों का प्रतिनिधि उस प्रश्न को अधिकार क्षेत्र वाले श्रम न्यायालय को संदर्भित कर सकता है, और न्यायालय, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उस प्रश्न का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अंतिम एवं पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। अधिनियम, 1961 की धारा 17 का, जो दंड एवं प्रक्रिया से संबंधित है, इस प्रकरण में कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि धारा 17 केवल तब लागू होती है जब स्थायी आदेशों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है। उपरोक्त प्रावधानों एवं विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान रिट याचिकाओं के समूह में उत्पन्न विवाद यह है कि क्या अधिनियम, 1961 की धारा 13 के प्रावधानों के अंतर्गत श्रमिकों हेतु स्थायी आदेश उत्तरवादी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। अतः अधिनियम, 1961 की धारा 15 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निरीक्षक को उक्त मुद्दे का निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) गुजरात उच्च न्यायालय ने *टाटा केमिकल लिमिटेड एवं अन्य बनाम कैलाश सी. अधवार्यु* मामले में, तत्कालीन माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.एन. भगवती के माध्यम से निर्णय देते हुए यह अभिप्रेत किया कि जब किसी विधिक उपबंध द्वारा कोई अधिकार या दायित्व स्थापित किया जाता है और उस विधिक उपबंध में उसे प्रवर्तित करने हेतु विशेष उपाय प्रदान किया गया हो, तो केवल वही उपाय अपनाया जाना चाहिए जो उक्त विधिक उपबंध द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

(11) *ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज़ (आई) लिमिटेड बनाम अध्यक्ष, श्रम न्यायालय एवं अन्य* के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

> "अधिनियम की रूपरेखा से यह स्पष्ट होता है कि प्रमाणित स्थायी आदेशों का स्वरूप कुछ हद तक वैधानिक होता है। यदि ऐसा है, तो जब प्रमाणित स्थायी आदेश की व्याख्या या निर्माण को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तब विधि के सामान्य व्याख्यात्मक सिद्धांत लागू होंगे।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) यह विधि–निर्माण की व्याख्या का एक सुप्रस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विधान मंडल के उस उद्देश्य को आगे बढ़ाए, जिसके तहत किसी दोष या दुरुपयोग के निराकरण के लिए अधिनियम बनाया गया है; और न्यायालय को ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता देनी चाहिए जो उस उद्देश्य की पूर्ति करे, बजाय उस व्याख्या के जो उस उद्देश्य से बचने का उपाय खोजने का प्रयास करती हो (देखें —*भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड एवं अन्य* [3])।

(13) वर्तमान प्रकरण में, स्थायी आदेश की प्रासंगिकता एवं व्याख्या के निर्णय हेतु एक विशेष विधिक प्रावधान उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में, प्राधिकारी द्वारा अधिनियम को प्रभावी बनाने हेतु सभी युक्तिसंगत साधनों के प्रयोग की अंतर्निहित शक्ति लागू नहीं होती। यह सिद्धांत केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है जहाँ कोई विशिष्ट प्रावधान

उपलब्ध न हो। अतः उत्तरवादीगण के अधिवक्ता द्वारा *भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड एवं अन्य (उपर्युक्त 3)*; *जे.के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर*; *भारत संघ एवं अन्य बनाम पारस लैमिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड*; *एम/एस कोचीन शिपिंग कंपनी बनाम ई.एस.आई. निगम*; तथा *खड़ग्राम पंचायत समिति एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य* निर्णयों पर किया गया आश्रय, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता।

(14) उपर्युक्त तथ्यों तथा विधिक प्रावधानों से यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकलता है कि जिस स्थायी आदेश का पालन निरीक्षक द्वारा कराया जाना था, वह श्रमिकों के लिए निर्मित था; जबकि याचिकाकर्ता कंपनी के अनुसार, उत्तरवादी कर्मचारी श्रमिक नहीं हैं तथा उन्हें पर्यवेक्षणात्मक पद पर पदोन्नत किया गया है, जो कि श्रमिक की परिभाषा से बाहर है। अतः स्थायी आदेश की प्रासंगिकता एवं व्याख्या को लेकर स्पष्ट विवाद था। निरीक्षक — उत्तरवादी क्रमांक 1 ने अधिनियम, 1946 के अंतर्गत प्रमाणित कंपनी के श्रमिकों हेतु स्थायी आदेश के नियम 5(घ) के आधार पर, उत्तरवादी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त करने का निर्देश दिया है। अतः यह आक्षेपित आदेश विधिक अधिकार के बिना, अन्यायपूर्ण है और परिणामस्वरूप उसे निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएं स्वीकृत की जाती हैं। तथापि, उत्तरवादी कर्मचारियों को यह स्वतंत्रता प्राप्त होगी कि वे अपनी स्थिति तथा उन पर आक्षेपित स्थायी आदेश की प्रासंगिकता के निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकरण के समक्ष उपयुक्त मंच पर याचिका प्रस्तुत करें। उपरोक्त में की गई टिप्पणियाँ सक्षम प्राधिकरण के समक्ष स्थायी आदेश की प्रासंगिकता एवं व्याख्या संबंधी विवाद के निर्णय में किसी प्रकार की बाधा नहीं बनेंगी। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

1. ए.आई.आर. 1964 गुजरात 265;

2. ए.आई.आर. 1984 सर्वोच्च न्यायालय 505;

3. (1996) 1 एस.सी.सी.-642;

4. (1996) 6 एस.सी.सी.-92;

5. (1990) 4 एस.सी.सी.-453;

6. (1992) 4 एस.सी.सी.-245;

7. (1987) 3 एस.सी.सी.-82;

हस्ता°/-

सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

-Translated By Nasreen Khan

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur